राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2909/2024

केरा राम पुत्र श्री जय करण, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी गांव लाखनी, तहसील बागोरा, जिला जालौर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालौर, जिला जालौर, राजस्थान।

3. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति सरनाऊ, जिला सांचौर, राजस्थान।

---प्रतिवादी

संबंधित मामलों के साथ

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए:

श्री जे.एस. भालेरिया, श्री मुकेश राजपुरोहित, श्री रमेश कुमार, श्री कुलदीप सिंह सोलंकी, श्री प्रवीण करवा, श्री मनोज कुमार पारीक, श्री महेंद्र विश्नोई, श्री धीरेंद्र सिंह सोढ़ा, श्री पवन सिंह, श्री राकेश मटोरिया, श्री महेंद्र सिंह गोदारा, श्री विजय कुमार, श्री विनोद झाझरिया (वीसी के माध्यम से), श्री कौशल शर्मा, श्री विकास बिजारनिया, श्री जय प्रकाश, श्री मुकेश व्यास, श्री जगतवीर सिंह, श्री एन.आर. बुडानिया, श्री गोविंद लाल, श्री सचिन सारस्वत (वीसी के माध्यम से), सुश्री सरोज पटेल, श्री हेमन्त दत्त, श्री रामावतार सिंह, श्री वीएलएस राजपुरोहित, श्री सुशील सोलंकी, श्री सुनील बेनीवाल, श्री हनुमान सिंह, श्री सुनील पुरोहित, श्री अवर दान उज्जवल, श्री डी.एस. पिडियार, श्री शैलेन्द्र ग्वाला, श्री श्रीकांत वर्मा, श्री नरपत सिंह

राजपुरोहित, श्री प्रीतम जोशी संजय कुमार पूनिया, श्री जस्सा राम, श्री सुमेर सिंह गौड़, श्री हेमन्त श्रीमाली, श्री एम.आर. खत्री, श्री विक्रम सिंह भावला, श्री हर्षवर्द्धन सिंह चुण्डावत, श्री ऋषभ तायल, श्री पी.आर. कुमावत, श्री के.एल. चौहान, श्री ओ.पी.. सांगवा, श्री भेरू लाल जाट, श्री देवेन्द्र सांवलोत, श्री हापू राम, श्री कमलेश चौधरी, श्री तंवर सिंह, श्री मनीष दाधीच, श्री संदीप कलवानिया, श्री सुरेंद्र सिंह चौधरी, श्री चंद्रवीर सिंह, श्री शार्दुल सिंह, श्री ओ.पी. कुमावत, श्री जितेंद्र चौधरी, श्री वीरेंद्र आचार्य, श्री रमेश देवासी, श्री निखिल भंडारी, श्री हरीश कुमार पुरोहित।

प्रतिवादियों के लिए:

श्री महावीर बिश्नोई, एएजी, श्री गौरव बिश्नोई, श्री ललित पारीक, श्री राजदीप सिंह, श्री संजय नाहर, श्री एच.एस. चुंडावत.

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>निर्णय</u>

<u>30/04/2024</u>

1. इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई याचिकाओं में राजस्थान में सेवारत ग्राम विकास अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ग्राम सेवक/एलडीसी/जूनियर सहायक/जूनियर तकनीकी सहायक/ग्राम विकास अधिकारी के पद के पंचायत अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश शामिल हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए नियमों (जिन्हें क्रमशः अधिनियम और नियम कहा जाएगा) के वैधानिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन बताया गया है।

2. आमतौर पर, किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण किसी भी तरह की रियायत की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि यह सेवा शर्तों का अभिन्न अंग है और इसका एक अनिवार्य हिस्सा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थानांतरण न तो सजा है और न ही पदोन्नति। इसलिए, यह न्यायालय हस्तक्षेप करने में सावधानी बरतता है, क्योंकि यह सामान्य प्रशासनिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है, जब तक कि यह किसी कर्मचारी के अत्यधिक कठिनाई और/या वैधानिक अधिकार के स्पष्ट उल्लंघन और/या किसी कर्मचारी को अप्रत्यक्ष उद्देश्य या सिद्ध दुर्भावना से दंडित करने के लिए शक्ति के रंग-रूपी प्रयोग का मामला न हो।

3. वर्तमान मामले की बारीकियों पर ध्यान देते हुए, इस न्यायालय के समक्ष पंचायती राज अधिकारियों की तीन श्रेणियां हैं:-

(I). जहां राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण आदेश पारित किए गए हैं,

(II). जहां मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा स्थानांतरण आदेश पारित किए गए हैं, और

(III). जहां किसी अन्य अधिकारी अर्थात बीडीओ/वीडीओ द्वारा स्थानांतरण आदेश पारित किए गए हैं।

3.1. यहां राज्य सरकार द्वारा 635 अधिकारियों के संबंध में पारित क्रमशः दिनांक 20.02.2024 और 22.02.2024 के आदेश आरोपित किए गए हैं। इसके अलावा संबंधित जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा पारित कुछ स्थानांतरण आदेशों पर भी आपत्ति जताई गई है, जैसे कि दिनांक 19.02.2024 को उदयपुर, जालौर और अजमेर जिलों के लिए, दिनांक 20.02.2024 को बांसवाड़ा और नागौर जिलों के लिए, दिनांक 21.02.2024 को भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर जिलों के लिए और दिनांक 22.02.2024 को बीकानेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, डीडवाना कुचामन, सलूम्बर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और नागौर जिलों के लिए लगभग 250 अधिकारियों के लिए और दिनांक 13.02.2024, 14.02.2024, 01.03.2024 को कुछ व्यक्तिगत आदेश, 11.03.2024, 12.03.2024, 14.03.2024 और 15.03.2024 को अन्य अधिकारियों द्वारा पारित किए गए।

3.2. उपरोक्त आदेशों के खिलाफ दायर संबंधित रिट याचिकाओं का विवरण इस निर्णय के अंत में अनुसूची में दिया गया है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

4. स्थानांतरित पंचायत अधिकारियों में से प्रत्येक के तथ्यों पर वास्तव में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन सभी मामलों में सामान्य सूत्र केवल उनके स्थानांतरण आदेशों की वैधता है। इस प्रकार, व्यक्तिगत तथ्यात्मक विवरण का वास्तव में कोई असर नहीं है। फिर भी, उदाहरण के लिए, मुख्य मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि वर्तमान में पंचायत समिति, सरनाऊ में ग्राम सेवक सह ग्राम विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत केरा राम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर द्वारा पारित दिनांक 19.02.2024 के आदेश द्वारा पंचायत समिति, बागोरा में स्थानांतरित कर दिया गया है।

4.1. केरा राम का तर्क है कि सबसे पहले, जिला परिषद के सीईओ, पंचायती राज अधिनियम, 1994 या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में स्थानांतरण आदेश पारित करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम नहीं हैं। दूसरे, उनका यह भी मामला है कि समिति से उसके प्रधान के माध्यम से कोई पूर्व अनुमोदन/सहमति प्राप्त नहीं की गई है, जैसा कि अधिनियम 1994 की धारा 89(8)(ii) के तहत अनिवार्य है।

4.2. उन्होंने नियम 289 के उपनियम (1) के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि जिला परिषद की जिला स्थापना समिति स्थानांतरण आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, वह भी पंचायत समिति के प्रधान के माध्यम से अनुरोध प्राप्त होने पर। उनका यह भी कहना है कि एक ओर जहां उनके स्थान पर किसी को पदस्थापित नहीं किया गया है, जिससे कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं दिखती, वहीं दूसरी ओर उन्हें बाहर पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा, उन्हें एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति यानी सरनाऊ से बागोरा में स्थानांतरित करते समय उनकी पदस्थापना का विशिष्ट स्थान यानी वह किस ग्राम पंचायत में रिपोर्ट करेंगे, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे वह असमंजस की स्थिति में हैं।

4.3. केरा राम के मामले में नोटिस जारी करते समय दिनांक 28.02.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

> “हर दूसरे दिन, यह न्यायालय इसी तरह की रिट याचिकाओं से भर जाता है, जो समान रूप से प्रभावी उपाय की अनुपलब्धता की दलील देते हुए, हरियाणा सरकार के पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण आदेशों पर हमला करती हैं। मुख्य रूप से, शिकायत यह है कि स्थानांतरित पंचायत समिति में किस ग्राम पंचायत को शामिल किया जाए, यह निर्दिष्ट किए बिना, ग्राम विकास अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ग्राम सेवक/एलडीसी/जूनियर सहायक/जूनियर तकनीकी सहायक/ग्राम विकास अधिकारी के पद के अधिकारियों को स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे उन्हें पंचायत समिति के प्रमुख की मनमानी के अधीन किया जा रहा है कि वे स्थानांतरित पंचायत समिति में रिपोर्ट करने के बाद ही अपनी ग्राम पंचायत आवंटित करें।
>
> सुना गया।

पहली नजर में, ऐसे स्थानांतरण आदेश, जिनमें आवश्यक विशिष्ट विवरण का अभाव है, चंद्र कांता बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में दिए गए निर्णय का उल्लंघन प्रतीत होते हैं। एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14638/2019, 20.01.2020 को तय की गई। उक्त निर्णय को अंतिम रूप दिया गया है, क्योंकि विभाग द्वारा इसके विरुद्ध कोई अंतर-न्यायालय अपील नहीं की गई।

प्रथम दृष्टया, मेरा विचार है कि विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों को उक्त निर्णय के बारे में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, ताकि उनके द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्तावित स्थानांतरण आदेशों में विवरण प्रदान किया जा सके। यदि वे जानबूझकर ऐसे विवरणों को छोड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर से दोहराते हुए, उन्हें पंचायत समिति के भीतर उस ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट करना चाहिए, जहां किसी अधिकारी का स्थानांतरण किया जा रहा है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिस मनमाने तरीके से स्थानांतरण आदेश पारित किए जा रहे हैं, उससे अनावश्यक मुकदमेबाजी हो रही है। इसके बावजूद, विवाद अब और नहीं रह गया है। इस तरह का उदासीन दृष्टिकोण न केवल इस न्यायालय, बल्कि राज्य पर भी अनावश्यक रूप से अधिक संख्या में वादों का बोझ डाल रहा है, जो पहले से ही न्यायाधीन हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारी अधिकारी, जो अपने वेतन के कारण बहुत कम कमाता है, मुकदमेबाजी का खर्च नहीं उठा सकता तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लापरवाह रवैये के कारण उसे अपनी मेहनत की कमाई मुकदमेबाजी पर खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

इसमें सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि वे अगली सुनवाई की तिथि पर न्यायालय की सहायता के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही में शामिल हों तथा उपरोक्त स्थिति पर अपने प्रशासनिक विचारों से अवगत कराएं।

नोटिस जारी करें।

न्यायालय में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष टाक प्रतिवादियों की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। इस प्रकार नोटिस की तामील समाप्त की जाती है।

इसे06.03.2024 को पोस्ट करें। सभी याचिकाओं पर एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2909/2024 के साथ सुनवाई की जाएगी।

इस बीच, संबंधित रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के संबंध में आरोपित स्थानांतरण आदेशों का संचालन एवं प्रभाव अगली तिथि तक स्थगित रहेगा।

रजिस्ट्री को प्रतिवादी नंबर 1 विभाग से जुड़े सभी समान मामलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें इस तरह के स्थानांतरण आदेशों को चुनौती दी गई है, साथ ही याचिकाओं का एक समूह भी।

इस आदेश की फोटोकॉपी संबंधित फाइलों में रखी जाए।

कानून के लागू प्रावधान:

5. स्थानांतरण आदेशों की सत्यता और वैधानिकता पर निर्णय लेने के लिए, सबसे पहले राजस्थान में लागू वैधानिक पंचायती राज कानून के प्रावधानों और संवैधानिक योजना, जिसके तहत इन्हें अधिनियमित किया गया है, पर एक नजर डालना उचित होगा। वास्तव में, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र बनाने, पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की उत्पत्ति, वर्ष 1992 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में किए गए 73 वें संवैधानिक संशोधन से हुई है। संशोधन के बाद, अनुच्छेद 243 ए, बी, जी और एच इस प्रकार हैं:-

“243 ए**.** ग्राम सभा

- ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी तथा ऐसे कार्य कर सकेगी जैसा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे।

243 बी**.** पंचायतों का गठन। **-**

(1) प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंधों के अनुसार ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतें गठित की जाएंगी।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकेंगी जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक न हो।

243 जी**.** पंचायतों की शक्तियां**,** प्राधिकार तथा जिम्मेदारियां- इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसे कानून में, उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए उपबंध हो सकते हैं, ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं, निम्नलिखित के संबंध में -

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित योजनाएं भी शामिल हैं।

243 एच**.** पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ तथा उनकी निधियाँ। **-** किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, -

(क) किसी पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार तथा ऐसी सीमाओं के अधीन ऐसे कर, शुल्क, टोल तथा फीस लगाने, एकत्र करने तथा विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है;

(ख) किसी पंचायत को ऐसे कर, शुल्क, टोल तथा फीस सौंप सकता है जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों तथा सीमाओं के अधीन लगाए तथा एकत्र किए जाते हैं;

(ग) राज्य की संचित निधि से पंचायतों को ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकता है; तथा

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त सभी धनराशियों को जमा करने के लिए तथा उनमें से ऐसे धन को निकालने के लिए, जैसा कि विधि में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसी निधियों के गठन के लिए उपबंध कर सकता है।"

6. संवैधानिक अधिदेश को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए, राजस्थान राज्य ने एक अधिनियम अर्थात् राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 प्रख्यापित किया तथा इसके अन्तर्गत 1996 के नियम भी बनाए। अधिनियम की धारा 89, जो इस विवाद के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:-

"89. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा का गठन।- (1) राज्य सेवा के लिए राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा के रूप में तथा इस धारा में इसके पश्चात सेवा के रूप में निर्दिष्ट सेवा के रूप में गठित की जाएगी तथा उसमें भर्ती जिलावार की जाएगी।

बशर्ते कि उप-धारा (2) के खण्ड (i), (iii) एवं (iv) में निर्दिष्ट पदों के लिए चयन राज्य स्तर पर किया जाएगा।

(2) सेवा को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्येक श्रेणी को अलग-अलग ग्रेड में विभाजित किया जाएगा, और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

(i) ग्राम विकास अधिकारी

(ii) हटाए गए

(iii) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक; [xxx]
(iv) मंत्रालयिक प्रतिष्ठान, (लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार को छोड़कर); और
(v) प्रभोदक और वरिष्ठ प्रभोदक

(3) राज्य सरकार पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधिकारियों और कर्मचारियों की किसी अन्य श्रेणी या ग्रेड को सेवा में शामिल कर सकती है, जो चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में शामिल नहीं हैं।

(4) राज्य सरकार सेवा में शामिल प्रत्येक ग्रेड और अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के कर्तव्यों, कार्यों और शक्तियों को निर्धारित कर सकती है।

(5) सेवा में पदों पर सभी नियुक्तियाँ की जाएंगी:

(क) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ख) पदोन्नति द्वारा; या

(ग) स्थानांतरण द्वारा

(6) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति (vii[उपधारा (2) के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट पदों पर) तथा उपधारा (3) के अधीन संवर्गित पदों पर], पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, धारा 90 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट जिला स्थापना समिति द्वारा जिले में किसी ग्रेड या श्रेणी में पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से की जाएगी।

ix[(6क) उपधारा (2) के खण्ड (i) और (iv) में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से, ऐसी रीति से की जाएगी, जैसी विहित की जाए।]

x[(6क) उपधारा (2) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, ऐसी एजेन्सी द्वारा पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से, जैसी विहित की जाए, की जाएगी; तथा]

xi[(6ख) उपधारा (2) के खण्ड (v) में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्ति,

सम्बन्धित जिले के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार सरकार द्वारा गठित भर्ती समिति द्वारा पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से की जायेगीः

बशर्ते कि विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के मामले में, चयन ऐसी रीति से और ऐसी छानबीन समिति द्वारा किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये।]

(7) नियुक्ति प्राधिकारी, जब तक जिला स्थापना समिति द्वारा चयन नहीं किया जाता है या चयनित व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, विहित रीति से छह माह से अनधिक अवधि के लिए अस्थायी आधार पर नियुक्तियां कर सकेगा और उक्त अवधि को जिला स्थापना समिति के परामर्श के पश्चात ही बढ़ाया जा सकेगा।

xii[बशर्ते कि उपधारा 2 के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट पदों पर अस्थायी आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।]

(8) नियुक्तियां -

(i) पदोन्नति, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा, उन व्यक्तियों में से, जिनके नाम जिला स्थापना समिति द्वारा तैयार की गई सूची में दर्ज किए गए हैं, विहित तरीके से की जाएगी, तथा

(ii) स्थानान्तरण, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद के प्रधानों या प्रमुखों से परामर्श के पश्चात किया जाएगा, जहां से और जहां ऐसा स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित है।

xiii[(8-ए) उप-धारा (8) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार सेवा के किसी भी सदस्य को xiv(किसी भी पदस्थापन स्थान से किसी अन्य पदस्थापन स्थान पर चाहे वह उसी पंचायत समिति के भीतर हो या) एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में, चाहे वह उसी जिले के भीतर हो या उसके बाहर, एक जिला परिषद से दूसरी जिला परिषद में, या एक पंचायत समिति से जिला परिषद में या एक जिला परिषद से पंचायत समिति में स्थानांतरित कर सकती है और उप-धारा (8) के अधीन किए

गए किसी भी स्थानांतरण आदेश या उसके अधीन बनाए गए नियमों के संचालन को रोक सकती है या रद्द भी कर सकती है।]

(9) सेवा में संवर्गीकृत पद धारण करने वाले व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार और ऐसे नियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन राज्य सेवा या राज्य सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए भी पात्र होंगे और इस प्रकार नियुक्त या पदोन्नत किए गए व्यक्ति वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन गठित सेवा में पद धारण करने की अवधि की गणना करेंगे। और पेंशन।

(10) राज्य सेवा में नियुक्ति रखने वाले व्यक्ति भी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार और उन नियमों में निर्धारित शर्तों और निबंधनों के अनुसार इस चयन के तहत गठित सेवा में संवर्गीकृत पद पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(11) इस धारा के तहत गठित सेवा में संवर्गीकृत पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य की संचित निधि में से पेंशन के भुगतान का हकदार होगा।

7. उक्त अधिनियम की धारा 102 के अन्तर्गत विस्तृत नियम अर्थात् राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 भी बनाये गये हैं। वर्तमान मामले से सम्बन्धित नियम 289, 290 एवं 336(26) नीचे प्रस्तुत हैं:-

“नियम 289. जिले के अन्दर स्थानान्तरण-

(1) जिले के अन्दर स्थानान्तरण चाहने वाले या <u>स्थानान्तरित होने की इच्छा रखने वाले कर्मचारी का नाम पंचायत समिति द्वारा सम्बन्धित जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना समिति को सूचित किया जायेगा।</u>

(2) ऐसे कर्मचारी की स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति सम्बन्धित पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा [सम्बन्धित जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना समिति] की संस्तुति पर की जाएगी।

(3) राज्य सरकार समय-समय पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आदेश जारी कर सकेगी। यदि सम्बन्धित जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना

समिति/पंचायत समिति की स्थायी समिति सहमत न हो तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार के आदेशों का पालन करेगा।

(4) कर्मचारी के स्थानान्तरण पर उसकी गोपनीय नामावली एवं सेवा अभिलेख, बिना किसी विलम्ब के, उस पंचायत समिति/जिला परिषद को प्रेषित कर दिया जाएगा, जिसे उसकी सेवाएं स्थानान्तरित की गई हैं।

नियम 290. जिले से बाहर स्थानान्तरण।-

(1) एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण चाहने वाले या स्थानान्तरित होने की इच्छा रखने वाले कर्मचारी का नाम, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा निदेशक को सूचित किया जाएगा।

(2) ऐसे कर्मचारी की स्थानान्तरण द्वारा तैनाती राज्य सरकार की संस्तुति पर सम्बन्धित पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा उस समय विद्यमान रिक्त पदों पर की जाएगी। राज्य सरकार किसी भी सेवा सदस्य को किसी भी स्थानान्तरण स्थान से किसी अन्य स्थान पर, चाहे वह उसी पंचायत समिति में हो या एक पंचायत समिति से उसी जिले के अन्दर या बाहर दूसरी पंचायत समिति में, एक जिला परिषद से दूसरी जिला परिषद में, या पंचायत समिति से जिला परिषद में या जिला परिषद से पंचायत समिति में स्थानान्तरित कर सकती है तथा इन नियमों के अन्तर्गत किये गये स्थानान्तरण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक भी लगा सकती है या उसे रद्द भी कर सकती है। सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी या विकास अधिकारी ऐसे आदेशों को लागू करेंगे तथा

(3) किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण पर उसकी गोपनीय नामावली और सेवा अभिलेख बिना किसी विलम्ब के उस पंचायत समिति/जिला परिषद को प्रेषित कर दिया जाएगा, जिसे उसकी सेवाएं स्थानान्तरित की गई हैं। बशर्ते कि अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (2) के खण्ड (I) एवं (iv) में विनिर्दिष्ट पदों के कर्मचारियों को उस जिले से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जिसमें वे नियुक्त किए गए थे।

नियम 336. मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अन्य शक्तियां एवं कार्य:-

(26) पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा के सदस्यों का जिला परिषद

के सामान्य दिशा-निर्देशों अथवा निर्णय के अनुसार जिले के भीतर स्थानांतरण। किसी भी ग्राम सेवक को गृह पंचायत में पदस्थापित नहीं किया जाएगा।

8. राजस्थान पंचायती राज (स्थानांतरित गतिविधियां) नियम, 2011 पर भी ध्यान देना आवश्यक है:-

ये नियम उन कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं जो अन्यथा राज्य सरकार से हैं, लेकिन समय-समय पर पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी गई गतिविधियों को करने के लिए स्थानांतरित किए गए हैं। उनके स्थानांतरण नियम 8 के अंतर्गत आते हैं:-

"8. स्थानांतरण -

ऐसे स्थानांतरित कर्मचारियों का स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी स्थानांतरण नीति और निर्देशों के तहत किया जाएगा,-

(i) उसी पंचायत समिति के अंतर्गत संबंधित पंचायत समिति की प्रशासन और स्थापना समिति द्वारा।

(ii) उसी जिले के अंतर्गत एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में संबंधित जिला परिषद की xviii[प्रशासन स्थापना समिति] द्वारा।

(iii) पंचायती राज विभाग की सहमति से एक जिले से दूसरे जिले में संबंधित विभाग द्वारा।"

प्रशासनिक निर्देश:

9. उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के अलावा, यह पता चला है कि प्रशासनिक पक्ष पर भी, राज्य के मुख्य सचिव ने राज्य भर के सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं कि वर्तमान में किसी भी स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध है। निर्देश पहली बार 04.01.2023 को जारी किए गए थे और बाद में, मुख्य सचिव द्वारा 03.01.2024 को स्पष्टीकरण निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि पहले के निर्देश लागू रहेंगे। हालाँकि, 12 दिनों (10.02.2024 से 22.02.2024) के छोटे अंतराल के लिए, विभिन्न विभागों को प्रशासनिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाले स्थानान्तरण करने की अनुमति देने के लिए स्थानांतरण पर इस पूर्ण प्रतिबंध में छूट दी गई थी। इस प्रकार, 12 दिनों की इस छोटी अवधि को छोड़कर, आज भी स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लागू है।

9.1. मुख्य सचिव के उपरोक्त प्रशासनिक निर्देशों की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए इसी प्रकार की अनेक याचिकाएं आईं, जिनका निपटारा मेरे द्वारा दिनांक

06.02.2024 को एस.बी.सी.डब्लू.पी. संख्या **417/2024:** गीता बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश के माध्यम से किया गया। उसी के अनुरूप नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:-

“1. तत्काल सामान्य आदेश के तहत, उपरोक्त क्रमांकित रिट याचिकाओं का निपटारा किया जा रहा है, क्योंकि उनमें एक ही मुद्दा शामिल है।

2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत में दायर की गई संबंधित रिट याचिकाओं में पारित/संलग्न किए गए विवादित प्रशासनिक आदेशों से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत उन्हें उनकी वर्तमान पोस्टिंग जगह से एक नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। उनमें से कुछ को वर्तमान कार्यभार से मुक्त कर दिया गया और पोस्टिंग आदेशों की प्रतीक्षा (एपीओ) की श्रेणी में रखा गया।

3. रिट कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इस अदालत ने रियायत दी और अंतरिम संरक्षण के रूप में, समूह मामले में प्रत्येक याचिका में स्थानांतरण/एपीओ आदेशों के संचालन पर रोक लगा दी गई।

4. वास्तव में इसी प्रकार का एक मामला (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 635/2024) मेरे द्वारा पहले भी सुना गया था, जिसमें भी याचिकाकर्ता ने राज्य के मुख्य सचिव द्वारा राज्य के सभी विभागाध्यक्षों/कलेक्ट्रेट/निदेशालयों को संबोधित एक प्रशासनिक परिपत्र पर भरोसा किया था, जिसमें विशेष रूप से यह बताया गया था कि अगले आदेश तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाने का नीतिगत निर्णय है। इसलिए, इसके मद्देनजर, सभी प्रशासनिक सचिवों/ सक्षम प्राधिकारियों/एचओडी को निर्देश/निर्देश दिया गया था कि प्रतिबंध के दौरान उनके द्वारा कोई भी स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए।

5. उपर्युक्त आधार पर, मेरे द्वारा दिनांक 12.01.2024 को एक आदेश पारित किया गया था, जो उपयुक्त होने के कारण नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> “1. इस न्यायालय में प्रतिदिन राज्य के पीड़ित कर्मचारियों द्वारा अपने स्थानांतरण आदेशों पर रोक लगाने की मांग करने वाली रिट याचिकाओं की बाढ़ आ जाती है, जिसमें तर्क दिया जाता है कि राज्य के मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 04.01.2023 के प्रशासनिक परिपत्र के माध्यम से स्थानांतरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज भी न्यायालय की इस पीठ के समक्ष ऐसी दो याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।

2. हाल ही में, राज्य के उत्तराधिकारी मुख्य सचिव ने भी दिनांक 03.01.2024 को अपना नया प्रशासनिक आदेश पारित करके अपने पूर्ववर्ती द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों की एक बार फिर पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि स्थानांतरणों पर प्रतिबंध जारी है।

3. हालाँकि, इसके घोर उल्लंघन में, विभागाध्यक्ष स्थानांतरण आदेश पारित करना जारी रखते हैं, जिससे कर्मचारियों को मुकदमेबाजी का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

4. इस आधार पर, राज्य के मुख्य सचिव को एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 417/2024 में एक पक्ष (प्रतिवादी संख्या 5) के रूप में शामिल किया गया है। उनसे अनुरोध है कि वे अगली सुनवाई की तिथि पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हों, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उनके उपरोक्त परिपत्रों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और उनके स्पष्ट प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

5. नोटिस।

6. 06.02.2024 को वापसी योग्य।

7. इस बीच, याचिकाकर्ताओं को उनकी वर्तमान पोस्टिंग से मुक्त नहीं किया जाएगा और आरोपित आदेश अगली सुनवाई की तिथि तक स्थगित रखे जाएंगे।

8. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस बेंच के रोस्टर से संबंधित सभी स्थानांतरण मामलों की पहचान करने के लिए कदम उठाए और उन्हें उसी तारीख यानी 06.02.2024 को सुनवाई के लिए तय करे।

6. आज पुनः शुरू हुई सुनवाई में मुख्य सचिव एवं अन्य आधिकारिक प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के प्रश्न पर अवगत कराया कि वास्तव में स्थानांतरण प्रतिबंध लागू है, जिसकी सूचना राज्य के मुख्य सचिव ने अपने प्रशासनिक परिपत्र दिनांक 04.01.2023 के माध्यम से सभी संबंधितों को दे दी है।

7. उन्होंने यह भी अवगत कराया कि मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि वे

वर्तमान में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में व्यस्त हैं। इस प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है।

8. विचाराधीन मामले को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त प्रतिबंध के मद्देनजर, उपरोक्त समूह की प्रत्येक याचिका में इस न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा को पूर्ण किया जाता है। हालांकि, संबंधित विभागों को नए प्रशासनिक आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी गई है, जब भी स्थानांतरण प्रतिबंध हटा दिया जाता है और/या उपरोक्त परिपत्र को संशोधित/वापस ले लिया जाता है, जैसा भी मामला हो।

9. इस आदेश की एक फोटोकॉपी रिट याचिकाओं के उपरोक्त समूह में से प्रत्येक फ़ाइल में रखी जाए।

10. तदनुसार निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

10. <u>याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें:</u>

10.1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 89 का हवाला देते हुए कहा कि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार के पास पूरे राज्य में कहीं भी पंचायती राज अधिकारियों के तबादले करने का विशेष विशेषाधिकार है। हालांकि, स्थानांतरण आदेश पारित करने और उसे लागू करने के लिए उस स्थान का उल्लेख अनिवार्य है जहां किसी अधिकारी को स्थानांतरित किया जाता है। किसी विशिष्ट स्थान की अनुपस्थिति में, स्थानांतरण आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं।

10.2. वे तर्क देंगे कि राज्य द्वारा पारित किए गए विवादित स्थानांतरण आदेशों में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में अधिकारियों को बिना किसी स्थान पर नियुक्त किए स्थानांतरित किया गया है।

10.3. सीईओ द्वारा पारित स्थानांतरण आदेशों के संबंध में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है कि जिस पंचायत समिति से और जिस पंचायत समिति में स्थानांतरण किया गया है, उसके प्रधान से परामर्श किए बिना तथा जिला परिषद के मामले में प्रमुख से पूर्व परामर्श किए बिना स्थानांतरण आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं।

10.4. इसके अलावा, वे तर्क देंगे कि नियम 289 के अनुसार केवल जिला स्थापना समिति ('डीईसी') ही स्थानांतरण की अनुशंसा करने के लिए सक्षम है। डीईसी की अनुशंसा के बिना सीईओ ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं है। वे यह भी इंगित करेंगे कि कुछ मामलों में जिला/जिला परिषद के सीईओ द्वारा किसी अन्य पंचायत समिति को स्थानांतरण आदेश पारित किए गए हैं, जो अब किसी अन्य जिला/जिला परिषद में आती है। इसलिए, ऐसे स्थानांतरण आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और निरस्त किए जाने योग्य हैं। इसी तरह, वे तर्क देंगे कि बीडीओ राज्य से प्राधिकरण के बिना किसी भी स्थानांतरण आदेश को पारित करने के लिए सक्षम नहीं हैं, और किसी भी मामले में, प्रधान (पंचायत समिति के मामले में) और प्रमुख (जिला परिषद के मामले में) के साथ पूर्व परामर्श आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, डीईसी की सिफारिश के बिना, किसी भी बीडीओ द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

10.5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, इस प्रकार तर्क देंगे कि राज्य तंत्र के भीतर प्रशासनिक स्थानांतरण के क्षेत्र में, प्राधिकरण का परिसीमन और प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन महत्वपूर्ण तत्व हैं। वरिष्ठों को दी गई शक्ति के दुरुपयोग से बचने के लिए स्थानांतरण प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए।

10.6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध 12 दिन तक शिथिल नहीं होने की अवधि के दौरान पारित किए गए स्थानांतरण आदेश, मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन होने के कारण केवल इसी आधार पर रद्द किए जाने योग्य हैं।

10.7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा राम सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, xix बदर राम खिलेरी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, xx राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम बदर राम खिलेराय एवं अन्य, xxi मोहन लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, xxii गम्भीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, xxiii राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम गम्भीर सिंह एवं अन्य, xxiv मुरारी लाल बनाम राजस्थान राज्य & अन्य,xxv राज. राज्य एवं अन्य बनाम समलेटा,xxvi अमर सिंह बनाम बलमीत सिंह,xxvii चंद्र कांता एवं अन्य बनाम राज. राज्य एवं अन्य,xxviii राज. राज्य एवं अन्य बनाम मूल शंकर,xxix राज. राज्य एवं अन्य बनाम रेखा कुमारी,xxx और गौतम कुमार बनाम राज. राज्य एवं अन्य xxxi में पारित निर्णयों पर भरोसा किया।

11. आधिकारिक प्रतिवादियों की ओर से तर्क

11.1. इसके विपरीत, आधिकारिक प्रतिवादियों और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह तर्क देंगे कि राज्य को पंचायत अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए या तो स्वयं या सीईओ/बीडीओ को निर्देश देने का पूरा अधिकार है। नियम 89 और 290 स्पष्ट रूप से सीईओ और बीडीओ को राज्य के आदेशों का पालन करने का अधिकार देते हैं। राज्य में निहित शक्ति बेलगाम है।

11.2. राज्य द्वारा पारित विवादित स्थानांतरण आदेशों में निर्दिष्ट स्थानांतरण स्थानों की कमी के संबंध में, तर्क यह है कि राज्य ने केवल यह चुना है कि किन अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना है, उन्हें उनके विशिष्ट स्थानांतरित स्थानों को आवंटित करने का कार्य सीईओ को छोड़ दिया है। वे आग्रह करेंगे कि यह दृष्टिकोण राज्य के इरादे को दर्शाता है कि वह पंचायत मामलों के सूक्ष्म प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, यह जिम्मेदारी सीईओ को सौंपना है।

11.3. राज्य के विद्वान वकील यह भी तर्क देंगे कि नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है, क्योंकि राज्य धारा 89 की उप-धारा 8 ए के आधार पर किसी भी पंचायत अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए पूरी तरह से सशक्त है। इस उप-धारा में प्रधान या प्रमुख के साथ पूर्व परामर्श या डीईसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, और राज्य को किसी भी स्थानांतरण आदेश को पारित करने के लिए कानून के तहत निर्बाध शक्तियां प्रदान करता है।

11.4. वे आगे तर्क देंगे कि किसी भी मामले में, धारा 89(8)(ii) के तहत परिकल्पित परामर्श केवल प्रकृति में निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। इस तरह के परामर्श को लिखित रूप में होना जरूरी नहीं है और इसलिए, स्थानांतरण आदेशों को रद्द करने के आधार के रूप में पूर्व परामर्श की अनुपस्थिति पर याचिकाकर्ताओं का जोर पूरी तरह से गलत है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस संदर्भ में प्रयुक्त शब्द "परामर्श" है, जो पूरी तरह से सहमति के बजाय प्रक्रिया की जानबूझकर प्रकृति पर जोर देता है। "परामर्श" में केवल प्रधानों से इनपुट मांगना शामिल है ताकि किसी कर्मचारी को उनकी संबंधित प्रशासनिक इकाइयों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता का आकलन किया जा सके, इस प्रकार प्रशासनिक आवश्यकता के विचारों को दर्शाया जा सके।

11.5. धारा 89(8)(ii) में "नियुक्ति" शब्द विधायी मंशा के साथ संरेखित करते हुए, नई नियुक्तियों और केवल पोस्टिंग के बीच अंतर को दर्शाता है। इस प्रकार

यह उपधारा मुख्य रूप से नियमित पदस्थापना के बजाय नई नियुक्तियों की शुरूआत से संबंधित है।

11.6 न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राज्य/सीईओ द्वारा किए गए स्थानांतरण के अधिकांश आदेशों में कुछ अपवादों को छोड़कर स्पष्ट रूप से पदस्थापन स्थान का उल्लेख किया गया है, और इस प्रकार इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

12. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता प्राप्त करने और अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात, मैं अब याचिका के साथ संलग्न अभिलेखों और प्रति-शपथपत्र के आधार पर, वर्तमान आदेश के आगामी पैराग्राफों में अपने तर्क दर्ज करके, विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिस्पर्धी तर्कों के संबंध में इसमें शामिल मुद्दों और कानूनी प्रश्नों पर अपनी राय प्रस्तुत करूंगा।

विधि के प्रश्न:

13. निम्नलिखित विधि के प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, ताकि आरोपित आदेशों के गुण-दोष पर निर्णय लिया जा सके:-

1. क्या पंचायत समिति के किसी अधिकारी के नए ड्यूटी स्टेशन के लिए ग्राम पंचायत के किसी विशिष्ट स्थान का उल्लेख न करना स्थानांतरण आदेश को अमान्य कर देता है?

2. क्या संबंधित पंचायत समिति या जिला परिषद के प्रधानों या प्रमुखों से परामर्श किए बिना स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति कानूनी रूप से वैध है?

3. क्या जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वतंत्र रूप से जिला परिषद के भीतर स्थानांतरण आदेश जारी कर सकता है?

4. क्या बीडीओ/वीडीओ स्वतंत्र रूप से पंचायत समिति के भीतर पंचायत अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत हैं?

5. क्या जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पंचायत समिति या जिला परिषद के भीतर किसी कर्मचारी के स्थानांतरण के लिए जिला प्रशासन और स्थापना समिति की सिफारिश आवश्यक है?

6. राजस्थान में अधिनियम संख्या 23/1994 द्वारा संशोधित पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 89(8)(ए) में गैर-बाधा खंड के तहत राज्य की शक्ति का विधायी उद्देश्य और दायरा क्या है?

<u>विश्लेषण:</u>

14. मामले के गुण-दोष पर चर्चा करने से पहले, भारत में पंचायती राज या ग्राम स्वराज (ग्राम स्वशासन) के विकास पर विचार करना आवश्यक है। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना भारत के सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक विकास के साधन के रूप में की थी, जिसमें ग्राम स्वशासन की वकालत की गई थी। यह अवधारणा संवैधानिक 73 वें संशोधन के लिए केंद्रीय थी/है, जिसमें गांवों को स्वायत्त, आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। ग्राम स्वराज का मूल सिद्धांत विकेंद्रीकृत शासन है, जहाँ पंचायत जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ स्थानीय मामलों का प्रबंधन करती हैं, निर्णय लेती हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत अनुसूची 11 में उल्लिखित कार्यों और कर्तव्यों के माध्यम से भागीदारी लोकतंत्र को बढ़ावा देती हैं। इस प्रकार पंचायतें जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए वाहन हैं, जो नागरिकों को स्वयं शासन करने में सक्षम बनाती हैं। इन लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 243 और 243 ए से एच के माध्यम से 1992 का 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियमित किया गया था। 14.1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 जी और 243 एच जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देते हुए विकेंद्रीकृत शासन की एक मजबूत प्रणाली का समर्थन करते हैं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज की स्वतंत्रता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। इसकी स्वतंत्रता के लिए प्रमुख चुनौतियों में राजनीतिक और नौकरशाही हस्तक्षेप शामिल हैं। पंचायती राज की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बनाए रखना न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और हाशिए पर पड़ी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए नैतिक दायित्व भी है। 73 वां संशोधन पंचायतों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय ज़िम्मेदारियाँ भी प्रदान करता है और उन्हें सशक्त बनाता है। संशोधन ने 20 लाख से ज़्यादा आबादी वाले राज्यों के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की, जिसमें गाँव स्तर पर ग्राम पंचायतें, मध्यवर्ती स्तर पर मंडल या ब्लॉक पंचायतें और ज़िला स्तर पर जिला परिषदें शामिल हैं। ये निकाय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

14.2. हालांकि, इस विकेन्द्रीकृत शक्ति का प्रयोग सरकारी अतिक्रमण को रोकने के लिए संतुलित होना चाहिए, जिससे पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता और प्रभावशीलता बनी रहे। राज्य सरकार की भूमिका मुख्य रूप से प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बजाय सामान्य निरीक्षण की होनी चाहिए। पंचायत समिति के भीतर किसी कर्मचारी के स्थानांतरण का आदेश देना पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्वायत्तता को कमजोर करता है और इन स्थानीय स्वशासी निकायों को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करता है। राज्य सरकार के अधिकारियों को अनुच्छेद 243 और उसके बाद के संशोधनों (अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ) के तहत संवैधानिक जनादेश का सम्मान करना चाहिए।

15. उक्त संवैधानिक जनादेश के अनुरूप, राजस्थान राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 के तहत पंचायतों का गठन किया गया है। इसी प्रकार, इसी अधिनियम की धारा 10 राज्य सरकार को पंचायत समितियां बनाने का अधिकार देती है। 1994 के अधिनियम की धारा 51 के अनुसार, पंचायत समिति प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन सहित द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करने और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है। अधिनियम की धारा 89 का अवलोकन करने पर पता चलता है कि यह राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें इसकी स्थापना, श्रेणियाँ, भर्ती और प्रबंधन का विवरण दिया गया है। यह जिला स्तरीय भर्ती (राज्य स्तरीय चयन के लिए अपवादों के साथ) और ग्राम विकास अधिकारी और शिक्षकों जैसे विभिन्न ग्रेडों में वर्गीकरण के साथ एक राज्यव्यापी सेवा स्थापित करता है। धारा, ibid, पंचायत समिति, जिला परिषद और राज्य सरकार को क्रमशः कर्मचारियों के कर्तव्यों को परिभाषित करने और पदोन्नति, स्थानांतरण और पेंशन अधिकारों का प्रबंधन करने का अधिकार देती है, जिससे संरचित प्रशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

16. धारा 89 (8 ए) में यह अनिवार्य किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर किसी भी स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण आदेश पारित किए जा सकते हैं, भले ही उप-धारा 1 से 8 या किसी अन्य खंड में निहित अन्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन न किया गया हो।

17. जबकि राज्य सरकार के पास, निस्संदेह, अधिनियम के तहत सभी व्यापक शक्तियां हैं, उसे पंचायतों में निहित स्वशासन शक्तियों को पूरी तरह से अपने अधीन करने से बचना चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 254 के समान स्थिति है, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि संसद और राज्य विधानमंडल के बीच असंगति की स्थिति में, संसद द्वारा बनाए गए

कानून समवर्ती सूची के मामलों पर प्रबल होंगे। इसी तरह, पंचायती राज अधिकारियों के स्थानांतरण की शक्ति लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पंचायती संस्थाओं के साथ-साथ राज्य सरकार के पास भी निहित है। इसलिए यह वांछनीय है कि कानून की वास्तविक मंशा और भावना को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब पंचायती राज निर्वाचित निकायों के साथ कोई संघर्ष हो और नियमित पंचायत मामलों में इन शक्तियों का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

18. इसी तरह, नियम 289 पंचायत समिति या जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र के तहत एक जिले के भीतर स्थानांतरण प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है। यह उचित जिला समिति के माध्यम से स्थानांतरण अनुरोधों या निर्णयों के संचार को अनिवार्य बनाता है, जिसमें राज्य सरकार, निस्संदेह, स्थानांतरण पर सर्वोच्च प्राधिकरण रखती है। नियम स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान राज्य के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करता है, जिलों के भीतर प्रभावी शासन और प्रशासन को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर, नियम 289 इस प्रकार एक जिले के भीतर स्थानांतरण के प्रबंधन के लिए एक संरचित प्रक्रिया स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित समितियों से इनपुट के साथ निर्णय लिए जाएं और कर्मचारियों के अपने नए पद पर संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड को निर्बाध रूप से स्थानांतरित किया जाए।

19. मेरी राय में, नियम 289 विशिष्ट सिफारिशों या अनुरोधों की अनुपस्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा एकतरफा स्थानांतरण को अधिकृत नहीं करता है। नियम ibid प्रक्रियात्मक मानदंडों के पालन के महत्व और स्थानांतरण को प्रभावी बनाने में प्रशासनिक आवश्यकता के सिद्धांत को रेखांकित करता है, जिससे सत्ता के मनमाने प्रयोग को रोका जा सके और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

20. अंततः, प्रक्रियात्मक कठोरता और उसके कानूनी अनुपालन की अनिवार्यताएं, अधिकार हस्तांतरण के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध सुरक्षा कवच का काम करती हैं, तथा प्रशासनिक कार्यों में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं।

संक्षेप में, स्वायत्तता, जवाबदेही और प्रभावी शासन के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए, तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्णय प्रक्रियात्मक मानदंडों और प्रशासनिक आवश्यकताओं दोनों पर उचित विचार करते हुए लिए जाएं।

<u>चर्चा:</u>

21. कानून की उपरोक्त स्थिति की पृष्ठभूमि में, मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिवादियों द्वारा लिया गया रुख कुछ और नहीं बल्कि अतीत में एकल पीठों और इस न्यायालय की

खंडपीठों द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियों में बार-बार अध्यायों और श्लोकों में बताई गई बातों की पूर्ण पुनरावृत्ति है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत किया गया है। इसमें एकमात्र नया तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 89 की उपधारा 8-ए में 2015 में संशोधन के बाद स्थिति बदल गई है, यानी राज्य के पास पंचायत समिति के भीतर भी स्थानांतरण करने का अधिकार है। इस न्यायालय के पहले के फैसले अंतिम हो चुके हैं क्योंकि राज्य द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई एसएलपी/अपील दायर करके कोई और सहारा नहीं लिया गया। उस संदर्भ में, ऐसा लगता है कि पुल के नीचे पानी को एक नए कारण का रंग दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। शायद यह राज्य की ओर से मौजूदा कार्यवाही के परिणाम के आधार पर आगे कानूनी सहारा लेकर मामले को आगे बढ़ाने के लिए नए आधार बनाने का एक लचर प्रयास है। आइए हम इसे अधिक विस्तार से जांचें।

22. मैं प्रतिवादियों की शिक्षा के लिए यह दोहराने के लिए बाध्य हूं कि यदि उन्होंने मूल शंकर और चंद्रकांता (सुप्रा) में निहित उदाहरणों का पालन किया होता, तो अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकता था, जिसके लिए अकेले राज्य जिम्मेदार है। जहां तक राम सिंह के फैसले का सवाल है, मेरे विचार में याचिकाकर्ताओं द्वारा उस पर भरोसा करना गलत है। राम सिंह के फैसले के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि जहां तक पंचायत समिति का सवाल है, संशोधन से पहले राज्य सरकार द्वारा उसी समिति के भीतर कोई भी स्थानांतरण नहीं किया जा सकता था। हालांकि, फैसले के बाद, कठिनाई को दूर करने के लिए वर्ष 2015 में किसी समय संशोधन किया गया था। उक्त संशोधन को चुनौती नहीं दी गई है। बाद में किए गए संशोधन के मद्देनजर, उक्त निर्णय उस सीमा तक लागू नहीं होता। राज्य सरकार द्वारा उसी समिति के अंतर्गत आदेशित किए गए स्थानांतरण प्रशासनिक अधिकारिता के अभाव के दोष से ग्रस्त नहीं हैं। हालांकि, यह कहने के बाद, इसमें अन्य मुद्दे भी शामिल हैं, जिन पर इस न्यायालय का ध्यान और निर्णय अपेक्षित है, जिन पर आगे चर्चा की गई है।

23. आइए सबसे पहले मूलशंकर (सुप्रा) में दिए गए खंडपीठ के निर्णय पर एक नजर डालते हैं, जो 89(8-ए) के संशोधन के बाद है, उससे संबंधित निम्नलिखित प्रासंगिक है:-

> “पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात हम पाते हैं कि भाग-IX पंचायत से संबंधित है, जिसे 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा 24.04.1993 से संविधान में सम्मिलित किया गया था। इस अध्याय में पंचायतों के गठन तथा संरचना के लिए विस्तृत प्रावधान हैं, जिसके माध्यम से

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायतों को कर लगाने की शक्ति भी प्रदान की गई है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के रूप में राज्य सरकार ने 2011 के उक्त नियमों के अंतर्गत कुछ कार्यों तथा गतिविधियों को पंचायतों को हस्तांतरित भी किया है। पंचायतों को ऐसी गतिविधियों को करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों को भी पंचायतों के अधीन रखा गया है।

xxxx xxxx xxxx

समय-समय पर स्थानांतरण नीति या आदेश जारी करने के कथित प्रयोग में, सरकार संबंधित जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के समीकरण की पूरी तरह अनदेखी करते हुए कर्मचारियों के विशिष्ट स्थानांतरण आदेश जारी करने की व्यापक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है। यह पंचायती राज संस्था पर अत्याचार करने के समान होगा, जिसे जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। निस्संदेह, ऐसे स्थानांतरण सरकारी नीति के अनुरूप होने चाहिए और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुरूप भी हो सकते हैं। फिर भी, स्थानांतरण की शक्तियों का प्रयोग जिला स्थापना समिति द्वारा किया जाना चाहिए।

xxxx xxxx xxxx

23.1. यह निर्णय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, जिसमें राज्य सरकार ने नियमों के अनुसार पंचायतों को विशिष्ट कार्य और गतिविधियाँ सौंपी हैं। पंचायतों को अपनी भूमिकाएँ प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने के लिए कार्यों का यह हस्तांतरण महत्वपूर्ण है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों को पंचायतों के अधीन रखा गया है। इस कदम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना है, यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास अपने कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन हैं।

हालांकि, इस विकेन्द्रीकृत ढांचे में अधिकार और जिम्मेदारी का स्पष्ट चित्रण भी जरूरी है, खासकर कर्मियों के स्थानांतरण के संबंध में। स्थानांतरण प्रक्रिया में जिला परिषद की जिला स्थापना समिति की वैधानिक रूप से निर्धारित भागीदारी इस शासन मॉडल की विकेन्द्रीकृत प्रकृति का प्रमाण है।

23.2. पाठ में अंतर्निहित एक महत्वपूर्ण पहलू कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण आदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति पर सीमाएं हैं। यह है कि विशिष्ट स्थानांतरण आदेश जारी करने में सरकार के व्यापक अधिकार से पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। जिला परिषद की जिला स्थापना समिति को ऐसे स्थानांतरणों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय शासन निकाय की कार्यात्मक अखंडता बनी रहे।

23.3. निर्णय का अनुपात इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि राज्य सरकार नीति निर्देश प्रदान कर सकती है और व्यापक शासन नीतियों का पालन सुनिश्चित कर सकती है, लेकिन वह पंचायती राज संस्थाओं के भीतर स्थापित तंत्रों की अवहेलना करने वाली व्यापक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। इन स्थानीय निकायों की स्वायत्तता और संवैधानिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह संतुलन आवश्यक है।

24. मुरारी लाल (सुप्रा) के मामले में दिनांक 07.09.2017 को दिए गए समन्वय पीठ के निर्णय में कहा गया है कि सीईओ के पास स्थानांतरण करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके पैरा संख्या 5 को यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:-

> “5. अधिनियम की धारा 89(8)(ii) के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी कर्मचारी को संबंधित जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना समिति की संस्तुति पर संबंधित जिला परिषद द्वारा एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया जाता है तो उस पंचायत समिति के प्रधानों से परामर्श करना अनिवार्य है, जहां से और जहां ऐसा स्थानांतरण प्रस्तावित है। इसके अलावा, धारा 289(2) के अनुसार संबंधित जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा इस संबंध में की गई किसी संस्तुति के अभाव में स्थानांतरण आदेश जारी करने के लिए सक्षम नहीं है। इस मामले को किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा जारी किया गया विवादित आदेश, जिसमें अधिनियम की धारा 89(8)(ii) तथा नियम 289(2) के प्रावधानों का पालन किए बिना याचिकाकर्ता को सीधे एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरित किया गया है, स्पष्टतः क्षेत्राधिकार से बाहर है।

24.1. अधिनियम और नियमों की व्याख्या करते हुए, पूर्व में चंद्रकांता (सुप्रा) के मामले में मेरे विद्वान भाई दिनेश मेहता, जे. ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित राय व्यक्त की थी:-

> "20. इस न्यायालय की सुविचारित राय में "किसी भी पदस्थापन स्थान से किसी अन्य पदस्थापन स्थान" तथा "एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति" जैसे पदों का प्रयोग विधायी मंशा को दर्शाता है कि किसी कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते समय, राज्य को एक साथ ही पदस्थापन स्थान भी प्रदान करना होगा।
>
> 21. विवादित आदेश अपूर्ण हैं। वे पदस्थापन स्थान निर्दिष्ट न करने के कारण अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (8ए) में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। विवादित आदेशों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर यह छोड़ दिया गया है कि वे पंचायत समिति या ग्राम पंचायत निर्दिष्ट करें, जहां ग्राम सेवक को जाना है। उन्हें स्थानांतरण आदेश 'स्ट्रिक्टो सेन्सु' नहीं कहा जा सकता।
>
> 22. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, आरोपित आदेश न केवल ढीले-ढाले हैं - वे अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (8ए) की सीमाओं से परे हैं।
>
> 23. इसके अलावा, पारित किए गए स्थानांतरण आदेश स्थानांतरण को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांत, अर्थात् प्रशासनिक आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। यह समझना कठिन ही नहीं असंभव है कि नीति या दिशा-निर्देश के अभाव में एक ही आदेश द्वारा इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को हटाना सार्वजनिक हित में कैसे हो सकता है, जब नियुक्ति का स्थान ही नहीं दिया गया हो।
>
> 24. आरोपित आदेशों ने स्थानांतरण की शक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के हाथों में सौंप दी है, जो अन्यथा कर्मचारी को स्थानांतरित करने के लिए सक्षम नहीं हैं। केवल राज्य सरकार ही किसी कर्मचारी को एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में

> स्थानांतरित कर सकती है, जैसा कि अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (8 ए) में सूचीबद्ध किया गया है।
>
> X-X-X-X-X-X-X
>
> 26. उपनियम (3) को उपनियम (1) से पृथक करके नहीं पढ़ा जा सकता। नियम 289 के व्यापक अध्ययन से पता चलता है कि यह उन मामलों के लिए है, जिनमें जिले के भीतर स्थानांतरण के इच्छुक कर्मचारी राज्य सरकार के आदेश के साथ संबंधित पंचायत समिति से संपर्क करते हैं और यदि संबंधित पंचायत समिति या ग्राम पंचायत राज्य सरकार के निर्देश का पालन नहीं करती है, तो संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्थानांतरण का ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं। ऐसा निर्देश या आदेश तब जारी नहीं किया जा सकता जब कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण का कोई अनुरोध न किया गया हो या ऐसे मामलों में जो नियम 289 के अंतर्गत नहीं आते हों।
>
> (जोर दिया गया)

24.2. चंद्रकांता निर्णय इस प्रकार रेखांकित करता है कि धारा 89(8 ए) के अनुसार स्थानांतरण आदेशों में कर्मचारी को स्थानांतरित करने के स्थान और उन्हें नियुक्त करने के स्थान दोनों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यह आवश्यकता स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, मनमाने या अधूरे आदेशों को रोकती है जो कर्मचारियों के अधिकारों और प्रशासनिक कामकाज की दक्षता से समझौता कर सकते हैं। कर्मचारियों का स्थानांतरण पंचायत राज कानूनों के ढांचे के भीतर होना चाहिए। यह ऐसे स्थानांतरणों को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों के अनुपालन और पंचायत राज संस्थाओं की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के पालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसलिए पंचायत राज संस्थाओं के भीतर स्थानांतरणों को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन करना अनिवार्य है। पारदर्शिता, जवाबदेही और वैधानिक आवश्यकताओं के पालन को सुनिश्चित करके, पंचायत राज की स्वतंत्रता और अखंडता को संरक्षित किया जा सकता है, जिससे जमीनी स्तर पर प्रभावी स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा मिल सकता है।

25. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, न केवल चंद्रकांता (सुप्रा) बल्कि मूलशंकर (सुप्रा) में खंडपीठ द्वारा दिए गए बाद के फैसले ने भी अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है। इसे

देखते हुए, याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि विवादित आदेश पूरी तरह से गलत हैं। याचिकाकर्ताओं को इस मामले में इस न्यायालय से हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो अन्यथा पूरी तरह से खुला और बंद मुद्दा था।

26. एक बार फिर मूल मुद्दे पर लौटते हुए यानी भारत में पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति और कार्यात्मक स्वायत्तता के आसपास की कानूनी पेचीदगियाँ, जिन्हें 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग IX के तहत स्थापित किया गया था। स्थानांतरण निर्णयों में जिला स्थापना समिति जैसी स्थानीय समितियों की भागीदारी विकेंद्रीकृत शासन और संवैधानिक सिद्धांतों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है। राज्य सरकार का हस्तक्षेप, जहाँ आवश्यक हो, निस्संदेह कानूनी रूप से स्वीकार्य है क्योंकि अधिनियम के तहत उसे सभी व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन साथ ही इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि वह पंचायतों को दी गई स्वशासन की शक्तियों को पूरी तरह से अपने अधीन कर ले और उन्हें पूरी तरह से निरर्थक बना दे।

27. यह सामान्य कानून है कि गैर-बाधा खंड अनिवार्य रूप से यह दर्शाता है कि इसका प्रभाव अधिक होगा और यह किसी भी अन्य खंड पर वरीयता लेगा और किसी भी विरोधाभासी प्रावधान की स्थिति में प्रबल होगा। हालाँकि, यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ किसी भी विरोधाभास की अनुपस्थिति में, शक्तियों का नियमित रूप से उपयोग किया गया है और निर्वाचित पंचायती निकायों को उक्त कार्य करने की अनुमति दिए बिना ही 885 से अधिक पंचायत अधिकारियों को स्थानांतरित करके बड़े पैमाने पर स्थानांतरण अभियान चलाया गया है। कानून के आवेदन में स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित करने के गैर-बाधा खंड के इरादे का इस प्रकार शक्तियों के रंग-बिरंगे प्रयोग द्वारा दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है।

28. वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने 1994 के अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (8 ए) के तहत गैर-बाधा खंड को लागू करके और "बावजूद" शब्दों के तहत शरण लेते हुए सामूहिक स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से अपने हाथ में ले लिया है।

29. विचार करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है यानी राज्य सरकार ने पूरे राजस्थान राज्य में स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, प्रशासन ने अस्थायी रूप से पहले 10 दिनों के लिए और फिर 2 दिनों के लिए इस प्रतिबंध को हटा दिया, शायद एक इरादे से, क्योंकि यह महज संयोग नहीं लगता है, पंचायती राज संस्थाओं को उनकी संवैधानिक और वैधानिक रूप से अनिवार्य शक्तियों से पूरी तरह से वंचित करने के लिए।

अधिनियम की धारा 89 उपधारा 8 ए के तहत अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य प्रशासन का तरीका, तरीका और समय गंभीर संदेह पैदा करता है और पंचायती राज अधिकारियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण अभियान को अंजाम देने के लिए शक्ति का एक रंग-रूपी प्रयोग प्रतीत होता है।

<u>निष्कर्ष:</u>

30. पिछले पैराग्राफों में निहित चर्चा और विश्लेषण के प्रकाश में आइए अब हम पैरा 13, ibid में तैयार किए गए प्रश्नों पर वापस आते हैं:-

<u>उत्तर:-</u>

प्रश्न संख्या 1:

पहले प्रश्न का उत्तर प्रशासनिक आवश्यकता के सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमता है। जैसा कि मेरे सम्मानित सहयोगी न्यायमूर्ति दिनेश मेहता द्वारा चंदर कांता के फैसले में उजागर किया गया है, निर्दिष्ट स्थानांतरण स्थान का अभाव उचित विचार-विमर्श की कमी को दर्शाता है। यदि स्थानांतरण करने वाला अधिकारी स्थानांतरित अधिकारी के अपेक्षित गंतव्य से अनभिज्ञ है, तो स्थानांतरण का उद्देश्य संदिग्ध हो जाता है। यह प्रशासनिक विवेक या दंडात्मक इरादों के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता पैदा करता है। वास्तविक प्रशासनिक आवश्यकता में निहित स्थानांतरण आदेश नए कर्तव्य स्थान को निर्दिष्ट करेगा, जिससे अधिकारी को तुरंत अपने कर्तव्यों को संभालने की अनुमति मिलेगी। इसलिए, पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है।

प्रश्न संख्या 2:

धारा 89(8)(ii) के तहत आवश्यक परामर्श एक दोहरे विधायी उद्देश्य की पूर्ति करता है: पंचायतों में स्वशासन को बनाए रखना और जब प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नत व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं, तो मानव संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना। धारा 89(8)(ii) को सतही तौर पर पढ़ने पर यह लग सकता है कि "परामर्श" का अर्थ "सहमति" नहीं है, जिससे यह प्रावधान अनिवार्य होने के बजाय सलाहकारी प्रतीत होता है। हालांकि, साथ ही, परामर्श को सहमति के बराबर मानने से प्रधानों और प्रमुखों को अत्यधिक अधिकार मिल सकते हैं, जिससे संभावित दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए, परामर्श की आवश्यकता को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रधानों और प्रमुखों को महज मूकदर्शक न बनाया जाए। दूसरे प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, लेकिन

पारदर्शिता की मांग है कि परामर्श को दरकिनार करने और इसके परिणामों की अनदेखी करने के कारणों को दस्तावेज में दर्ज किया जाए।

प्रश्न संख्या 3 और 4:

प्रश्न 3 और 4 को एक साथ संबोधित किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 289 के अनुसार सीईओ/एडिशनल सीईओ (डीईओ एवं बीडीओ) केवल राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही आदेश जारी कर सकते हैं। सामान्यतः स्थानान्तरण की शक्ति पंचायत समिति, जिला परिषद अथवा राज्य सरकार के पास होती है। जब इन निकायों और राज्य के बीच असहमति होती है, तो राज्य सरकार के निर्देशों को क्रियान्वित करने की शक्ति सीईओ/बीडीओ/विकास अधिकारी को सौंपी जाती है। लेकिन बीडीओ/वीडीओ स्वतंत्र रूप से पंचायत समिति के भीतर पंचायत अधिकारियों का स्थानान्तरण करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। इसके अलावा, बीडीओ/वीडीओ संबंधित पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के प्रधानों अथवा प्रमुखों से परामर्श किए बिना पंचायत समिति के भीतर पंचायत अधिकारियों का स्थानान्तरण करके नियुक्ति का स्वतंत्र रूप से आदेश देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। इस प्रकार, प्रश्न 3 और 4 का उत्तर नकारात्मक है।

प्रश्न संख्या 5:

नियम 289 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी कर्मचारी के जिले के भीतर स्थानांतरण के लिए जिला परिषद की जिला स्थापना समिति की संस्तुति की आवश्यकता होती है। धारा 89(8)(ए) की धारा 89(8) के साथ सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए ताकि प्रधानों और प्रमुखों के परामर्श को शामिल किया जा सके। नियम 289 के उप-नियम 3 में स्पष्ट किया गया है कि यदि जिला स्थापना समिति/स्थायी समिति असहमत है, तो सीईओ/विकास अधिकारी राज्य सरकार के निर्देशों का पालन कर सकते हैं।

इस प्रकार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पंचायत समिति या जिला परिषद के भीतर किसी कर्मचारी के स्थानांतरण के लिए जिला प्रशासन और स्थापना समिति की संस्तुति आवश्यक है।

हालांकि, यह राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों पर लागू नहीं होता है। यदि जिला स्थापना समिति/स्थायी समिति ऐसे स्थानांतरण पर असहमत हो, तो सीईओ/विकास अधिकारी राज्य सरकार के निर्देशों का पालन कर सकते हैं। प्रश्न 5 का उत्तर तदनुसार दिया गया है। दूसरे शब्दों में, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी

अधिकारी द्वारा पंचायत समिति या जिला परिषद के भीतर किसी कर्मचारी के स्थानांतरण के लिए जिला प्रशासन और स्थापना समिति की सिफारिश आवश्यक है। लेकिन, यदि जिला स्थापना समिति/स्थायी समिति ऐसे स्थानांतरण पर असहमत हो, तो सीईओ/विकास अधिकारी राज्य सरकार के निर्देशों का पालन कर सकते हैं।

प्रश्न संख्या 6:

अंतिम प्रश्न पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89(8)(ए) के पीछे विधायी मंशा से संबंधित है। यह धारा विकेंद्रीकरण पर जोर देती है, मानव संसाधनों के प्रबंधन के लिए पंचायतों को विशिष्ट कार्य सौंपती है। नियम इस विधायी मंशा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। जबकि राज्य सरकार के पास स्थानांतरण आदेश जारी करने का सर्वोच्च अधिकार है, इस शक्ति का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता को कम नहीं करना चाहिए। स्थानीय निकायों की स्वायत्तता और संवैधानिक अखंडता को बनाए रखने के लिए संतुलन बनाना आवश्यक है। इस प्रकार, जबकि राज्य के पास स्थानांतरण आदेश जारी करने का पूर्ण अधिकार है, इस शक्ति का उपयोग इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए जिससे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों में विश्वास कम हो।

<u>निष्कर्ष:-</u>

31. निष्कर्ष निकालते हुए, भविष्य में अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए, यह न्यायालय ग्राम विकास अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ग्राम सेवक/एलडीसी/जूनियर सहायक/जूनियर तकनीकी सहायक/ग्राम विकास अधिकारी के पद के पंचायती राज अधिकारियों के स्थानांतरण के मामलों में निम्नलिखित दिशा-निर्देश तैयार/जारी करना उचित समझता है:-

<u>स्थानांतरण संबंधी दिशा-निर्देश</u>

(I). **जिला स्तरीय स्थानांतरण:** जिला कैडर पदों के लिए भर्ती किए गए पंचायत अधिकारियों को उनके संबंधित जिलों के बाहर नियमित रूप से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए, सिवाय जहां अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अनुमति दी गई हो।

(II). **स्थानांतरण के लिए परामर्श:** स्थानांतरण केवल पंचायत समिति के प्रधान से

परामर्श करने के बाद ही किया जाना चाहिए।(III). **जिला परिषद स्थानांतरण:** जिला परिषद के भीतर स्थानांतरण के लिए जिला परिषद के प्रमुख के परामर्श की आवश्यकता होती है।

(IV). **राज्य अधिभावी शक्ति:** राज्य प्रधान या प्रमुख से परामर्श किए बिना स्थानांतरण कर सकता है।

(V). **अंतर-जिला स्थानांतरण:** राज्य के पास एक ही जिले के भीतर पंचायत समितियों के भीतर या उनके बीच पंचायत अधिकारियों को स्थानांतरित करने का अधिकार है।

(VI). **अंतर-जिला और अंतर-जिला परिषद स्थानांतरण:** राज्य एक जिला परिषद से दूसरे जिला परिषद में, पंचायत समिति से जिला परिषद में, या उसी जिला परिषद या पंचायत समिति के भीतर प्रधान या प्रमुख के परामर्श से या उसके बिना अधिकारियों को स्थानांतरित कर सकता है।

(VII) अधिनियम, 1994 की धारा 89(8)(ii) में यह प्रावधान है कि जिला परिषद किसी कर्मचारी को पंचायत समिति से तभी स्थानांतरित कर सकती है, जब स्थानांतरण में शामिल संबंधित पंचायत समितियों या जिला परिषदों के प्रधानों या प्रमुखों से परामर्श किया जाए।

(VIII) नियम, 1996 की योजना में यह परिकल्पना की गई है कि जिला परिषद पंचायत समितियों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए नियंत्रण प्राधिकरण है। एक जिला परिषद के भीतर एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण में धारा 89(8)(ii) का अनुपालन करना होगा, जिसमें संबंधित प्रधानों या प्रमुखों के साथ परामर्श सुनिश्चित किया जाएगा।

(IX) अधिनियम, 1994 की धारा 89(8 ए) के अंतर्गत इस धारा के अंतर्गत किए गए स्थानांतरणों के लिए परामर्श की आवश्यकता नहीं है। यह राज्य सरकार को धारा 89(8) या संबंधित नियमों के अंतर्गत किए गए स्थानांतरण आदेशों को रोकने या रद्द करने की शक्ति देता है।

(X) राज्य के आदेशों के अनुपालन में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा पारित स्थानांतरण आदेशों को निष्पादित करने का अधिकार है, जैसा कि नियम 289(3) के उप-धारा 89(8 ए) के सामंजस्यपूर्ण पढ़ने के अनुसार व्याख्या की गई है। उनके पास स्थानांतरण आदेश पारित करने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है।

(XI) सरकार को स्थानांतरण आदेश/नीतियां जारी करने में जिला परिषद की जिला स्थापना समिति की भूमिका का सम्मान करना चाहिए। समिति को सरकारी नीतियों और निर्देशों के अनुसार स्थानांतरण शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति बरकरार है।

(XII) अन्य विभागों द्वारा अंतर-जिला स्थानांतरण आदेशों को पंचायती राज विभाग से सहमति प्राप्त करनी चाहिए। 'सहमति' से तात्पर्य स्वैच्छिक, सूचित निर्णय से है, और इसे सचेत निर्णय लेने की प्रक्रिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए, न कि मौन या गैर-प्रतिरोधी व्यवहार के माध्यम से माना जाना चाहिए।

32. प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित पंचायती राज अधिकारियों को आवश्यक प्रशासनिक निर्देश जारी करें ताकि उन्हें इस न्यायालय द्वारा बनाए गए उपरोक्त दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूक किया जा सके, साथ ही तत्काल निर्णय की प्रति भी दी जाए। कहने की जरूरत नहीं है कि उनका अनुपालन न करने पर प्रतिवादियों को इसके परिणामस्वरूप होने वाले आवश्यक परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

33. इन टिप्पणियों के साथ, रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए स्थानांतरण आदेशों को रद्द किया जाता है, साथ ही प्रतिवादियों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर नए आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्देशों के मापदंडों के भीतर। यह स्पष्ट किया जाता है कि नए आदेश पारित करने की स्वतंत्रता देने का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि प्रतिवादियों को नए स्थानांतरण आदेश पारित करने ही होंगे, भले ही कोई प्रशासनिक आवश्यकता न हो।

34. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

<u>अनुसूची</u>

क्र.सं.	रिट याचिका संख्या	पक्ष का नाम	
1.	2909/2024	केरा राम	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
2.	2683/2024	भानु कुमार गहलोत	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.

3.	2741/2024	दिनेश कुमार कटारा	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
4.	2849/2024	सूरज मल गुर्जर	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
5.	2910/2024	हरि किशन	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
6.	2913/2024	दाना राम गोदारा	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
7.	2916/2024	राधा किशन करवा	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
8.	2944/2024	ओम प्रकाश मीना	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
9.	2948/2024	भैरू लाल लक्षकार	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
10.	2949/2024	सुनीता मीना	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
11.	2952/2024	रामनिवास भादू	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
12.	2953/2024	प्रदीप बेनीवाल	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
13.	2955/2024	राधेश्याम सियाग	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस
14.	2963/2024	मोहिउद्दीन शरीफ़	राज. एवं अन्य
15.	2968/2024	ब्रजबिहारी	राज. एवं अन्य
16.	2971/2024	ईश्वर चंद्र पुरोहित	राज. एवं अन्य
17.	2972/2024	मतीन मोहम्मद	राज. एवं अन्य
18.	2973/2024	श्योजी राम जाट	राज. एवं अन्य
19.	2988/2024	पवन कुमार चंदेल	राज. एवं अन्य
20.	2997/2024	सत्यनारायण	राज. एवं अन्य
21.	3012/2024	संवता राम	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
22.	3015/2024	बजरंग लाल चौधरी	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
23.	3052/2024	नरेश सोलंकी	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
24.	3061/2024	जय सिंह	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
25.	3085/2024	विजय मेनारिया	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
26.	3099/2024	मोहन लाल मेघवाल	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
27.	3111/2024	अरुण बामणिया	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
28.	3120/2024	रामेश्वरी गौड़	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
29.	3125/2024	बीरबल राम	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
30.	3126/2024	हीरा लाल अहारी	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
31.	3127/2024	विष्णु राम	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
32.	3138/2024	इन्द्रपाल सिंह झाला	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
33.	3140/2024	नंद किशोर चाष्टा	राज. एवं ओ.आर.एस.
34.	3152/2024	कांति लाल माली	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
35.	3153/2024	लाल शंकर	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
36.	3157/2024	खंगार सिंह	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
37.	3162/2024	बसंती लाल आसौदा	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
38.	3163/2024	प्रभु लाल सेनगाड़ा	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
39.	3169/2024	अर्जुन सिंह असोलिया (राव)	राज. एवं ओ.आर.एस.
40.	3177/2024	राकेश सोनगरा	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
41.	3197/2024	सोहन सिंह	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
42.	3201/2024	राजेंद्र सोलंकी	राज्य राज. एवं अन्य

43.	3217/2024	सुमन मीना	राज्य राज. एवं अन्य
44.	3223/2024	मंजू बाला	राज्य राज. एवं अन्य
45.	3265/2024	ईश्वर लाल कलाल	राज्य राज. एवं अन्य
46.	3271/2024	हेमलता बैरवा	राज्य राज. एवं अन्य
47.	3281/2024	कैलाश चंद्र मेघवाल	राज्य राज. एवं अन्य
48.	3306/2024	मधुसूदन पारीक	राज्य राज. एवं अन्य
49.	3308/2024	नानूराम मीना	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
50.	3317/2024	बलराम गग्गर	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
51.	3325/2024	वेद प्रकाश रामावत	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
52.	3342/2024	भवानी शंकर गुर्जर	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस
53.	3347/2024	रमेश चन्द्र जीनगर	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
54.	3348/2024	मनीष सालवी	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
55.	3350/2024	दिलीप कुमार खराडी	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
56.	3356/2024	जामता राम	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
57.	3357/2024	महेंद्र मालवीय	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
58.	3360/2024	महावीर प्रसाद	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
59.	3363/2024	मुबारक अली	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
60.	3367/2024	राजेंद्र कुमार मनत	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य।
61.	3368/2024	सुरेश रोत	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य।
62.	3370/2024	मनोज कुमार	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य।
63.	3372/2024	श्रीमती। मधु चरण	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
64.	3375/2024	नरेश मीना	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
65.	3376/2024	लाल सिंह चौधरी	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
66.	3377/2024	राम निवास	स्टेट ऑफ राज. व अन्य ओआरएस
67.	3390/2024	बंशी लाल मीना	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
68.	3401/2024	बुद्धि प्रकाश त्रिपाठी	राज. एवं ओ.आर.एस.
69.	3405/2024	घनश्याम संगीत	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
70.	3407/2024	दिनेश कुमार शर्मा	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
71.	3408/2024	रवि कुमार चौधरी	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
72.	3416/2024	सुरेश कुमार जीनगर	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
73.	3419/2024	श्याम लाल टेलर	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
74.	3434/2024	लाजपत जैन	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
75.	3435/2024	भरत सिंह	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
76.	3448/2024	भरत राज मीना	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
77.	3451/ 2024	तारा डामोर	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
78.	3458/2024	मदन खान	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
79.	3462/2024	शंकर लाल पाटीदार	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
80.	3464/2024	विनोद कुमार	स्टेट ऑफ राज. और ओआरएस.
81.	3475/2024	अशोक कुमार मारू	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य

82.	3490/2024	विजय यादव	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
83.	3515/2024	माधव लाल कुम्हार	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
84.	3523/2024	वीर सिंह गुडा	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
85.	3526/2024	प्रकाश सिंह	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
86.	3533/2024	श्याम लाल शर्मा	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
87.	3537/2024	करण सोनी	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
88.	3550/2024	मनोहर सेन	राज्य राज. एवं अन्य।
89.	3590/2024	रविन्द्र श्योराण	राज्य राज. एवं अन्य।
90.	3609/2024	सचिन कुमार चौबे	राज्य राज. एवं अन्य।
91.	3611/2024	भूपेश कुमार भट्ट	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
92.	3614/2024	नरपत लाल उर्फ नरपत कुमार बिश्नोई	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
93.	3621/2024	रणजीत सिंह नावरिया	राज. एवं ओ.आर.एस.
94.	3629/2024	हनुमान राम	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
95.	3631/2024	दीपा राम गुर्जर	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
96.	3633/2024	लादू लाल जाट	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
97.	3638/2024	हरफूल चंद	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
98.	3642/2024	राजू जाट	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
99.	3651/2024	पवन ओसवाल	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
100.	3653/2024	विशना राम चौधरी	राज. राज्य एवं अन्य
101.	3654/2024	भंवर लाल डामोर	राज. राज्य एवं अन्य
102.	3656/2024	बद्री लाल मीना	राज. राज्य एवं अन्य
103.	3683/2024	नानूराम रोत	राज. राज्य एवं अन्य
104.	3686/2024	संतोष कुमार सिंह	राज्य राज. एवं अन्य
105.	3693/2024	सुशील कुमार दशोरा	राज्य राज. एवं अन्य
106.	3716/2024	सत्यनारायण शर्मा	राज्य राज. एवं अन्य
107.	3733/2024	श्याम लाल	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
108.	3752/2024	रिम्पा यादव	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
109.	3762/2024	नरेन्द्र सिंह सिसोदिया	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
110.	3775/2024	जगदीश चंद्र गर्ग	राज्य राज. एवं अन्य
111.	3776/2024	पिंकी मुंडेल	राज्य राज. एवं अन्य
112.	3778/2024	अशोक कुमार खाती	राज्य राज. एवं अन्य
113.	3784/2024	सूरजमल मनत	राज. एवं अन्य
114.	3808/2024	हरीश चंद्र बरांडा	राज. एवं अन्य
115.	3810/2024	असफाक मोहम्मद	राज. एवं अन्य
116.	3812/2024	सुनील कुमार साल्वी	राज. और अन्य
117.	3825/2024	शंकर लाल	राज्य राज. और अन्य
118.	3829/2024	सरिता	राज्य राज. और अन्य
119.	3834/2024	चंद्र भान	राज्य राज. और अन्य
120.	3865/2024	प्रशांत सोलंकी	प्रधान सचिव एवं अन्य
121.	3870/2024	रसीला डामोर	राज. एवं अन्य

122.	3872/2024	मनोज कुमार	राज. एवं अन्य
123.	3876/2024	अभिषेक शर्मा	राज. एवं अन्य
124.	3892/2024	मोहन लाल	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
125.	3893/2024	लीला देवी	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
127.	3924/2024	दिनेश ढाका	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
128.	3933/2024	ओम प्रकाश धाकड़	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
129.	3955/2024	दिलीप चंदेरिया	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
130.	3967/2024	पुष्पेन्द्र सिंह गेहलोत	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
131.	3971/2024	मोहन राम चाहर	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
132.	3973/2024	नरेन्द्र कुमार जांगिड़	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
133.	3975/2024	सुरेश कुमार धाकड़	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
134.	3977/2024	गोपाल लाल धाकड़	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
135.	4004/2024	बसीर गुलाम	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
136.	4020/2024	चन्द्रशेखर रेगर	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
137.	4025/2024	उर्मीला	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
138.	4029/2024	सुभीता	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
139.	4065/2024	ज्योति पारीक	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
140.	4080/2024	श्रीमती उषा खत्री	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
141.	4092/2024	गंगाराम मेघवाल	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
142.	4094/2024	नंदकिशोर यादव	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
143.	4102/2024	रमेश चंद्र यादव	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
144.	4110/2024	राम लाल डामोर	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
145.	4112/2024	महेंद्र कुमार	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य ओआरएस.
146.	4115/2024	गजेन्द्र कुमार	राज्य राज. एवं अन्य
147.	4138/2024	सुभाष चंद सेन	राज्य राज. एवं अन्य
148.	4145/2024	मूलचंद वर्मा	राज्य राज. एवं अन्य
149.	4147/2024	नीतीश कुमार मीना	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
150.	4166/2024	केशव लाल आदिवासी	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
151.	4168/2024	मंगली बिश्नोई	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
152.	4175/2024	श्री रामचंद्र मेघवाल	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
153.	4181/2024	सिद्धार्थ सिंह रत्नू	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
154.	4182/2024	प्रहलाद सिंह गहलोत	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
155.	4185/2024	राकेश कुमार मीना	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
156.	4191/2024	प्रशांत कुमार	राज्य राज. एवं अन्य
157.	4196/2024	शांति लाल सुवालका	राज्य राज. एवं अन्य
158.	4197/2024	सुरेश बिश्नोई	राज्य राज. एवं अन्य
159.	4201/2024	सुख लाल तेली	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
160.	4228/2024	जितेन्द्र लामरोड़	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
161.	4240/2024	राम स्वरूप मीना	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
162.	4264/2024	सीमा रावल	स्टेट ऑफ राज. व अन्य

163.	4272/2024	मंजू वेद	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
164.	4278/2024	रामजान मोहम्मद	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
165.	4284/2024	कौशलिया नागदा	स्टेट ऑफ राज. व अन्य
166.	4304/2024	पन्ना लाल मेघवाल	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
167.	4322/2024	छीतर मल गूजर	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
168.	4332/2024	शरवन मीना	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
169.	4357/2024	रोहताश	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
170.	4371/2024	रमेश कुमार	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
171.	4384/2024	हरेश कुमार	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
172.	4391/2024	महेंद्र भावरिया	राजस्थान राज्य एवं ओ.आर.एस.
173.	4449/2024	श्रीमती कविता	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
174.	4456/2024	हनुमान प्रसाद बलाई	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
175.	4475/2024	श्रीमती अंजू कुमारी	स्टेट ऑफ राज. एवं अन्य
176.	4492/ 2024	आशीष कुमार भट्ट	राज. एवं अन्य
177.	4499/2024	अशोक कुमार	राज. एवं अन्य
178.	4556/2024	देव दत्त शर्मा	राज. एवं अन्य
179.	4591/2024	हनवंत कुमार	राज. एवं ओ.आर.एस.
180.	4593/2024	रामनाथ दरोगा	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
181.	4670/2024	चंपा लाल तनुगारिया	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
182.	4709/2024	अशोक कुमार निनामा	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
183.	4722/2024	राजेंद्र सिंह चौहान	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
184.	4726/2024	राजेंद्र सिंह राठौड़	राज. एवं ओ.आर.एस.
185.	4822/2024	विमलेश राठौड़	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
186.	4847/2024	कन्हैया लाल पालीवाल	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
187.	4860/2024	महेंद्र कुमार खंडेलवाल	राजस्थान एवं अन्य
188.	4867/2024	संतोष सेन	राज्य एवं अन्य
189.	4881/2024	युगल किशोर धाभाई	राज्य एवं अन्य
190.	4887/2024	ओम प्रकाश	राज्य एवं अन्य
191.	4930/2024	देवेंद्र कुमार शर्मा	राजस्थान एवं अन्य
192.	4943/2024	रामदेव राम मंडा	राज्य एवं अन्य
193.	4944/2024	खियाराम गिवारिया	राज. एवं ओ.आर.एस.
194.	4992/2024	मंशा राम अहारी	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
195.	5104/2024	ओमा राम बिचार	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
196.	5515/2024	श्रीमती मैना बानो	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
197.	6277/2024	हितेश पालीवाल	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.
198.	6533/2024	कमलेश जीनगर	राज्य राज. एवं ओ.आर.एस.

•••

i अधिनियम संख्या 8, 2004 द्वारा परंतुक डाला गया। अधिसूचना संख्या एफ.2(6) विधि/2/2004 दिनांक 10-8-2004 द्वारा हटा दिया गया; अधिसूचना संख्या एफ.2(28) विधि/2/2010 दिनांक 15-9-2010 द्वारा हटा दिया गया। राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2015 (अधिनियम संख्या 29, 2015) द्वारा पुनः जोड़ा गया। राज.गज. भाग IV-A दिनांक 8-10-2015 से प्रकाशित। 9-6-2015 से।

ii राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित। राज.गज. भाग IVA दिनांक 9-4-2016 से प्रकाशित। 18-1-2016 से।

iii खंड (I) 'ग्राम स्तर के कार्यकर्ता' और खंड (ii) 'ग्रामसेविकाओं' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। 2021 के अधिनियम संख्या 12 द्वारा हटाया गया। संख्या एफ.2(38)विधि/2/2020 दिनांक 27-9-2021। राज. गज. एक्स्टी. भाग IV(A) दिनांक 28-9-2021 में 27-9-2021 से प्रकाशित।

iv अधिनियम संख्या 9 (2000) द्वारा 3-5-2000 से प्रतिस्थापित।

v अधिनियम संख्या 20 (2010) द्वारा 15-9-2010 से हटाया और प्रतिस्थापित।

vi अधिनियम 12, 2008 द्वारा जोड़ा गया। अधिसूचना संख्या एफ.1(7)विधि/2/2008 दिनांक 5-4-2008। राज्यपाल की स्वीकृति 3-4-2008 को प्राप्त हुई।

vii राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2015 (अधिनियम संख्या 29, 2015) द्वारा 9-6-2015 से अभिव्यक्ति जोड़ी गई।

viii राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित। राज. राज. भाग IV-A दिनांक 9-4-2016 में 18-1-2016 से प्रकाशित।

ix विद्यमान (6A) को (6AA) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया तथा उप-धारा (6A) को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। राजस्थान राज. भाग IV-A दिनांक 9-4-2016 में 18-1-2016 से प्रकाशित।

x अधिनियम संख्या 2004 के क्रमांक 8 द्वारा 10-8-2004 से डाला गया। अधिसूचना संख्या एफ.2(6) विधि/2/2004 दिनांक 10-8-2004 द्वारा हटाया गया। (अधिनियम संख्या 20, 2010) द्वारा पुनः डाला गया। राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2015 (अधिनियम संख्या 29, 2015) द्वारा 9-6-2015 से डाला गया।

xi अधिसूचना संख्या एफ.2(17) विधि/2/2008 दिनांक 5-4-2008 (अधिनियम संख्या 12, 2008) द्वारा डाला गया, जिसे 3-4-2008 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई। राज.गज. ई.ओ., भाग IV-ए दिनांक 5-4-2008 में प्रकाशित।

xii 2004 के अधिनियम संख्या 8 द्वारा 28-2-2004 से सम्मिलित।

xiii राजस्थान अधिनियम संख्या 23, 1994 द्वारा 26-7-1994 से सम्मिलित।

xiv अभिव्यक्ति राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्या 29) द्वारा 9-6-2015 से सम्मिलित।

xv अधिसूचना संख्या एफ 4 (33) पीआरडी/विधिक/वेतन नियम/संशोधन/इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा/2006/4365 दिनांक 22-9-2006 द्वारा जोड़ा गया। राज. राज. अतिरिक्त भाग IV-सी(I) दिनांक 10-10-2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

xvi जी.एस.आर. 59: राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम 2011, संख्या एफ. 4(7) अ.अ./नियम/विधिक/पीआर 2010/1348 दिनांक 12-8-2011, राज.गज. भाग (iv)(सी) दिनांक 18-8-2011 से प्रकाशित।

xvii राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2016 द्वारा दिनांक 8-6-2016 से सम्मिलित एवं प्रतिस्थापित।

xviii जी.एस.आर. अधिसूचना संख्या एफ.4(8)/अ.अ./नियम/विधिक/पीआर/10/1223 दिनांक 19-7-2011 द्वारा प्रतिस्थापित। राज.गज. एक्स्टी., भाग IV(सी) दिनांक 2-8-2011 से प्रकाशित। 2-8-2011.

xix 2008 एससीसी ऑनलाइन राज 178

xx 2010 एससीसी ऑनलाइन राज 2519

xxi 2010 एससीसी ऑनलाइन राज 3278

xxii 2010 एससीसी ऑनलाइन राज 4419

xxiii 2012 एससीसी ऑनलाइन राज 2133

xxiv 2012 एससीसी ऑनलाइन राज 3180

xxv एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 3595/2017 दिनांक 07/09/2017

xxvi डीबीएसएडब्ल्यू संख्या 736/2018 दिनांक 11/10/2018

xxvii 2018 एससीसी ऑनलाइन राज 3445

xxviii एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 14638/2019 दिनांक 20/01/2020

xxix DBSAW संख्या 683/2021 दिनांक 14/01/2022

xxx DBSAW संख्या 284/2022 दिनांक 17/08/2022

xxxi SBCWP संख्या 2993/2024 दिनांक 01/03/2024

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।